

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) सेवादार/पुत्रसभ के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विवाद का कोई सम्बन्धित नहीं होगा तथा न ही विवाद किसी व्यक्तिगत के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विवाद को चुनिता करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

### एकल शिड्युली केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

#### कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 608 दिनांक 01/07/2020

जी+1

आवासीय

माथी कमलेश चौडान डा० श्री सोहन लाल चौडान  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 18 ई-12 चौपामती  
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय शिड्युली बॉर्ड  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा  
जरिये रसीद संख्या 1021/1816, 1817  
दिनांक 01/07/2020 को जमा करा दी है ।

01/07/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर



01-7-2020

83428970